बिहार सरकार

परिवहन विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0–07/स्था0–01–20/14........................../ पटना, दिनांक.........

श्री सरोज कुमार सिंह, प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक, प्रतिनियुक्त जहानाबाद सम्प्रति विभागीय आ0 ज्ञा0–2891 दिनांक–17.06.2010 द्वारा बलथरी चेक पोस्ट पर प्रतिनियुक्त, को विभागीय आदेशों का उल्लंघन, तथ्यों को छुपाकर विभाग को भ्रमित करते हुए राजस्व हित को प्रभावित करने, पुलिस अनुसंधान में असहयोग करने तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–(3) एवं नियम–(24) के प्रावधानों का उल्लंघन करने आदि के प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(1)(क) एवं (ग) के तहत तत्काल के प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया जाता है।

2. निलंबन अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना का कार्यालय होगा।
3. निलंबन अवधि में श्री सिंह को बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एव अपील) नियमावली, 2005 के नियम–10 के आलोक में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
4. श्री सिंह के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में आरोप गठित कर अलग से निर्गत किया जाएगा।
5. प्रस्ताव पर राज्य परिवहन आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
संयुक्त परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना

ज्ञापांक–07/स्था0–01–20/14 पटना, दिनांक

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
संयुक्त परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना

ज्ञापांक–07/स्था0–01–20/14 4224 पटना, दिनांक 6/7/16

प्रतिलिपिः– मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/माननीय मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा/स्थापना शाखा/रक्षित पंजी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/ संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना/जिला परिवहन पदाधिकारी, जहानाबाद एवं गोपालगंज/श्री सरोज कुमार सिंह, प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक, प्रतिनियुक्त जहानाबाद(सम्प्रति बलथरी, गोपालगंज) मूल पता–एम0वी0 कॉलेज के सामने, चरित्रवन, बक्सर–802101 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.7.16
संयुक्त परिवहन आयुक्त
बिहार, पटना

F:\P\5.Docx........ 1123